

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2020-21/99/452

दिनांक : 10/09/2020

-:: कार्यालय आदेश ::-

किराया क्रय जमा राशि (Hire Purchase Deposit) के समायोजन/रिफण्ड हेतु राजस्थान आवासन मण्डल के Disposal of Property Regulation 1970 Chapter II 10 (iii) Manner of Payment of Hire-Purchase price में निम्न उल्लेखित है:-

"The Board shall have the sole and exclusive right over the hire purchase deposit till such time it is adjusted on the execution of the conveyance deed or refunded with or without deduction as provided in these regulations and the agreements made there under."

वर्तमान में किराया क्रय जमा राशि के समायोजन हेतु वृत्त कार्यालयों द्वारा अलग-अलग प्रक्रिया अपनाने के कारण Disposal of Property Regulation 1970 Chapter II 10 (iii) बिन्दु को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है एवं समस्त आंवटियों/क्रेताओं को आवास का अन्तिम बकाया राशि का मांग पत्र देते समय किराया क्रय जमा राशि (Hire Purchase Deposit) का समायोजन कर मांग पत्र जारी किया जावे।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव/निजी-सचिव, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त वृत्त राज. आवा. मं.,
9. आवासीय अभियन्ता, खण्ड राज. आवा. मं.,
10. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. लेखाधिकारी (वृत्त) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
13. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार